जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 192वीं बैठक दिनांक 04.04.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्मानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाडी,वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री ओ.पी. गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. अनील अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक,(III) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री दिनेश पंवार, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त, जोन–11,14 जविप्रा, जयपुर।
7. श्री भरत मल माली, सहायक नगर नियोजक, जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती संगीता,सहायक नगर नियोजक, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–

एजेण्डा संख्या :–1

192 / 04.04.2013

विषय:– बी.पी.सी.(एल.पी.) **बैठक** कमांक 191वीं **बैठक दिनांक** 05.03.2013 को सम्पन्न हुई बैटको के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् कार्यवाही विवरणों की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या :–2

192 / 04.04.2013 (जोन–4)

विषय:– राजहंस गृ.नि.स. समिति की योजना **कैलाशपुरी** के भूखण्ड संख्या 7,8,10,11 टोंक रोड, जयपुर के **पुर्नगठन** के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रस्तावित पुर्नगठन स्वीकृत किया जावें एवं पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक 1788.88 व.ग. है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें।

भूखण्डों के सैटबैक निम्नानुसार होगें:–

सामने	–	9.00 मीटर
साइड I	–	4.5 मीटर
साइड II	–	4.5 मीटर
पीछे	–	4.5 मीटर

अन्य मानदण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 व जारी संशोधनों के अनुसार देय होगें।

एजेण्डा संख्या :–3

192/04.04.2013 (जोन–9)

विषय– श्रेष्ठ रियल टेक्नोजीज प्रा.लि. की ग्राम सिरोली तह. सांगानेर, जयपुर की निजी खातेदारी योजना कृष्ण कुंज के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना में दर्शित सुविधा क्षेत्र 4199.62 वर्ग गज है (3511.49 व.मी.) सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज क्लब हाउस एवं अन्य दर्शित सुविधा क्षेत्र 1573.80 व.ग. (1315 व.मी.) का एण्ड यूज स्कूल प्रयोजनार्थ निर्धारित किया जावे एवं उपरोक्त सुविधा क्षेत्रो का आवंटन टाउनशिप पोलोशी 2010 के अनुसार नियमानुसार राशी लिये जाकर किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–4

192/04.04.2013 (जोन–11)

विषयः–आवेदक श्रीमती शशिकला शर्मा द्वारा ग्राम भापुरा तह. सांगानेर की भूमि रकबा 2.39 हैक्ट. पर होटल (पर्यटन इकाई) का मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से होटल प्रयोजन के विस्तृत ले-आउट प्लान लिए जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :-5

192 / 04.04.2013 (जोन-11)

विषयः- आवेदक मैसर्स त्रिमूर्ति बिल्डर्स होम्स प्रा.लि. जरिये निदेशक गोवर्धनदास माहेश्वरी एवं मैसर्स कृतिका अपार्टमेंनट प्रा.लि. द्वारा ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर की कुल 26.44 हैक्ट. भूमि पर औद्योगिक योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित संशोधित योजना को अनुमोदित किया जावें।

एजेण्डा संख्या :-6

192 / 04.04.2013 (जोन- 13)

विषयः-राजस्व ग्राम लुनियावास तह. आमेर के खसरा नं. 484 / 4 ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर रोड के व्यावसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल 4830.77 वर्ग मीटर का उप-विभाजन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन जांच करे कि यह भूखण्ड ट्रांसपोर्ट नगर योजना का भूखण्ड है या नहीं तथा लीजडीड में आवंटन की शर्तो की विस्तृत जांच करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :-7

192 / 04.04.2013 (जोन-13)

विषयः- आवेदक श्री मणिकान्त शर्मा द्वारा राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 6473 क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर में से रोड में जाने के बाद शेष 418.73 वर्ग गज में दुकानों के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वे मय निर्माण को दर्शाते हुये प्रार्थी से लिया जावें जावें ताकि मौके पर निर्मित दुकानें के पश्चात् भूखण्ड में जाने का रास्तं की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके तत्पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–8

192 / 04.04.2013 (जोन–14)

विषयः–गुलमोहर मेन योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि योजना मानचित्र विनियमों के प्रावधानानुसार होने के कारण प्रस्तावित योजना स्वीकृत की जावें।

एजेण्डा संख्या :–9

192 / 04.04.2013 (जोन–14)

विषयः– श्री रामबाबू अग्रवाल पुत्र मदनलाल अग्रवाल द्वारा राजस्व ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू जयपुर की कुल रकबा 13.2901 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना कनक वाटिका विस्तार ब्लॉक ई, एफ, व जी का मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र तकनीकी दृष्टी से विनियमों के अनुसार होने के कारण प्रस्तावित योजना स्वीकृत की जावें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–1

192 / 04.04.2013 (जोन–15)

विषयः–यूनिक सिटी आवासीय योजना के संशाधित मानचित्र के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में अन्य की भूमि में से जाने हेतु लिंक प्रस्तावित किया गया था जिसे वर्तमान प्रस्ताव में हटा दिया गया अतः प्रस्तावित योजना को अनुमोदित किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–2

192 / 04.04.2013 (जोन–15)

विषयः–यूनिक सिटी आवासीय योजना के संशाधित मानचित्र के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में अन्य की भूमि में से जाने हेतु लिंक प्रस्तावित किया गया था जिसे वर्तमान प्रस्ताव में हटा दिया गया अतः प्रस्तावित योजना को अनुमोदित किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–3

192 / 04.04.2013 (जोन–1)

विषयः– श्री रामपुरा गृ.नि.स.स. की योजना 2बी एवं 2बीए विस्तार के भूखण्ड 1ए तथा 14ए, सूरज नगर (वेस्ट), कैलाश पथ, जयपुर का पुर्नगठन किये जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 1ए, व 14ए को पुर्नगठित किया जावें। पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।

पुर्नगठित भूखण्ड के पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 व अन्य संशोधनों के अनुसार होगें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–4

192 / 04.04.2013 (जोन–6)

विषयः–श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना प्रताप नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 597–बी से 597–एन के नियमन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि पहले यह भूखण्ड क्षेत्र किस कारण से अस्वीकृत किए गये थे तथा यह भूखण्ड नवसृजित बताये गये है इसलिए इसकी जांच सचिव जविप्रा एवं अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) द्वारा किये जाने के पश्चात् रिपोर्ट सहित प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–5

192 / 04.04.2013 (जोन–4)

विषय:– अशोक बाफना पुत्र श्री कन्हैयालाल बाफना आदिनाथ नगर जयपुर इण्डस्ट्रीयल स्टेट गृ.नि.स. समिति के भूखण्ड संख्या एस–74 के सैटबैक परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श किया गया, जयपुर विकास प्राधिकरण के विनियम 2010 के अनुसार सामने का सैटबैक मुख्य सडक पर ही रखे जाने व अन्य सडक की ओर का सैटबैक साईड सैटबैक माना जाना उल्लेखित है। स्वीकृत योजना मानचित्र में सामने के दोनों सैटबैक में 20–20 फिट का सैटबैक दर्शाया है इसलिए वर्तमान में विनियमों के अनुसार मुख्य सडक पर 20 फिट सैटबैक रखा जा सकता है एवं वर्तमान में इसलिए कम चौडाई की सडक पर 20 फिट के स्थान पर 10 फिट का सैटबैक ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–6

192 / 04.04.2013 (जोन–11)

विषय:–आवेदक मैसर्स फ्यूरिस्टिक सोफटेवेयर सोल्यूशन प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री कपिल जयपुरीया निवासी 503, वैभव शीन मल्टीप्लक्स, वैशाली नगर, जयपुर के आराजी ख.न. 1476 रकबा 5.45 हैक्ट. में से 3.47 हैक्ट., ख.न. 1517 रकबा 6.13 हैक्ट. में से 4.54 हैक्ट. ख.न. 1477 रकबा 0.50 हैक्ट. ख.न. 1486 रकबा 2.20 हैक्ट. कुल किता 4 रकबा 10.73 हैक्ट. ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर की भूमि पर आवासीय योजना अनुमोदन करवाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि जविप्रा द्वारा योजना में किये गये संशोधनों को योजना मानचित्र में यथावत् रखते हुये प्रस्तावित संशोधित योजना मानचित्र आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–7

192 / 04.04.2013 (जोन–11)

विषय:–कृष्णा कुंज प्रा.लि. योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि योजना में सरकारी भूमि शामिल है इसलिए प्रार्थी सर्वप्रथम सरकारी जमीन की एवज में जविप्रा को

समान क्षेत्रफल के भूखण्ड समर्पित करें, तत्पश्चात् ही प्रस्तावित योजना पर विचार किया जावेगा।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–8

192/04.04.2013 (जोन–11)

विषयः–रंगाई छपाई एशोशियन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के संबंध में। (सेक्टर 66)

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड के सामने 24 मीटर चौडी सडक को 18 मीटर प्रस्तावित किया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

15/4/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2013/डी– 0162
दिनांकः– 15/4/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. ~~सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।~~
9. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

15/4/13

**सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।**